(५४)

संख्या-2796 / II–2011–04(28)/03, टी0सी0

प्रेषक,

आर0सी0 लोहनी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई अनुभाग

देहरादून : दिनांक 02 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2011

विषयः **नाबार्ड RIDF-XI, XIII, XIV, XV एवं XVI के अन्तर्गत निर्माणाधीन नलकूप, नहर, लिफ्ट योजनाओं हेतु वर्ष 2011–12 में धनावंटन ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रसंख्या–3671/मुअवि/बजट/बी–1, सामान्य, दिनांक 27.09.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत क्रमशः RIDF-XI, XIII, XIV, XV एवं RIDF-XVI में निर्माणाधीन नलकूप/नहर निर्माण/लिफ्ट योजनाओं के लिए नाबार्ड द्वारा अपने पत्रांक–राबै./उत्तराखण्ड/2857/एफ. ए.डी.(एल.ओ.एस)– 15/2011–12, दि0–08.09.2011 के द्वारा **अनुलंग्नक–ए** (Annexurre-A) में उल्लिखित परियोजनावार प्रतिपूर्ति की गयी धनराशि के क्रम में **संलग्नक–1** में वर्णित अनुदान/लेखाशीर्षकों के अनुसार ₹ 1597.65 लाख (₹ पन्द्रह करोड़ सत्तानवे लाख पैंसठ हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्न प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं निर्माण कार्य की त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति वित्त विभाग एवं नाबार्ड को भी उपलबध कराई जाय।
2. उक्त धनराशि का उपयोग नाबार्ड की गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकता एवं मितव्ययता का ध्यान रखते हुए किया जाय।
3. निर्माण कार्यों में भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
4. आवश्यकतानुसार भूगर्भ वैज्ञानिक/ज्योलोजिस्ट से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाय।
5. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार महालेखाकार एवं वित्त विभाग को उपलबध कराया जाय।
6. धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकता से अधिक किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजनायें नाबार्ड द्वारा पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी हैं। यदि बिना अनुमोदित योजना पर धनराशि व्यय की जायेगी तो उसका समस्त उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का ही होगा ।

क्रमशः.........2

8. कार्य की गुणवत्ता समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।
9. विभागाध्यक्ष के निस्तारण पर जो धनराशि रखी जा रही है वह उनके द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो ।
10. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण प्रतिमाह बी0एम0–17 पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
11. नाबार्ड के उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांक 08.09.2011 तथा उसके साथ संलग्न अनुलंग्नक 'ए' एवं 'बी' की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है, जिसकी अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
12. इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या 20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय में **संलग्नक–1** में उल्लिखित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत 24 वृहत् निर्माण कार्य में सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या–597/XXVII/(1)/11 दिनांक– 20 अक्टूबर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न यथोपरि।

भवदीय,

(आर0सी0 लोहनी)
संयुक्त सचिव।

संख्या–2791 (1)/II–2011–04(28)/03, टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
4. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

संलग्न यथोपरि।

आज्ञा से,

(एस0 एस0 टोलिया)
अनु सचिव।

संलग्नक–1

शासनादेश संख्या–2796 / II–2011–04(28) / 03 टी0सी0, दिनांक02/11/2011 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	योजना का लेखाशीर्षक	बजट प्राविधान	पूर्व में जारी स्वीकृति	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1.	अनुदान संख्या–20 लेखाशीर्षक 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय –04 नलकूपों का निर्माण 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख–रखाव व्यय 0201 नाबार्ड (आरआईडीएफ 8 योजना)–24 वृहत् निर्माण कार्य	3800.00	2774.98	673.01
2.	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनायें 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख–रखाव व्यय 0202 नाबार्ड वित्त पोषित नहरों का निर्माण 24 वृहत् निर्माण कार्य	3650.00	2154.59	912.18
3.	4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 07 उत्तरांचल की लघुडाल नहरों का पुनरोद्धार 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख–रखाव व्यय 0203 नाबार्ड वित्त पोषित नहरों का निर्माण 24 वृहत् निर्माण कार्य	400.00	43.48	12.46
	योग	7850.00	4973.05	1597.65

(₹ पन्द्रह करोड़ सत्तानवे लाख पैंसठ हजार मात्र)

(एस0एस0 टोलिया)
अनुसचिव।

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\D. Rawat.Doc\YEAR 2011-12\NABARD 2011-12\G.O. NABARD.doc